भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी
जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17– राज्य सरकार की सिफारिशः
(उपर्युक्त भाग–II या भाग–III या भाग–**IV** में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

तिथि : नाम और पदनाम

स्थान : सरकारी मोहर

प्रारूप – 11 संलग्नक - 2.1

(23)

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मॉग का पूर्ण औचित्य

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली–खमारी–थापला–जलालगांव से देचोरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

मंगोली से जलालगांव तक पूर्व मे मोटर मार्ग निर्मित है। जिसमें वाहनों का आवागमन बना हुआ है। जलालगांव से देचौरी तक वर्तमान में कोई मार्ग आवागमन हेतु निर्मित नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु जलालगांव से देचौरी तक 7.0 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 883 / III(2) / 08–66 (एम0एल0ए0) / 07 दिनांक 28.03.2008 द्वारा रू0 245.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उक्त मार्ग के निर्माण के पश्चात् ग्रामीणों को 5.0 किमी0 कम दूरी तय करनी पडेगी। उक्त मार्ग के निर्माण में 6.05 किमी0 लम्बाई व 9.0 मी0 चौड़ाई में आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि मार्ग निर्माण हेतु उपलब्ध नहीं है। जैसा कि पृष्ठ सं0 (12A) में संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट में भी अंकित किया गया है। प्रस्तावित संमरेखण में वृक्षों का पातन भी कम होगा तथा आरक्षित वन भूमि भी कम उपयोग होगी। इन्ही कारणों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्ग के निर्माण हेतु 6.05 किमी0 लम्बाई व 9.0 मी0 चौड़ाई में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0,	प्रा0ख0, लो0नि0वि0,	प्रा0ख0, लो0नि0वि0,
नैनीताल	नैनीताल	नैनीताल

(24)

प्रारूप - 30

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Nainital

No:- Dated 20.11.14

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **5.445** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.D., P.W.D, Nainital for **Construction of Mangoli Khamari Thapla Jalalgaon Dechauri Motor Road** in Nainital district falls within jurisdiction of **Jalalgaon** village (s) in **Nainital** tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **5.445** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23.4 to ______ annexure ______

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
नैनीताल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

25

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Nainital

No--- **Dated-----**

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली–खमारी –थापला–जलालगॉव से देचोरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **5.445** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **P.D.P.W.D Nainital for Construction of Mangoli Khamari Thapla Jalalgaon Dechauri Motor Road** for **Road Work** (purpose for diversion of forest land) in **Nainital** district falls within jurisdiction of **Jalalgaon** village (s) in **Nainital** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **5.445** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **Nainital** villages(s) is enclosed as annexure….. to annexure……

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above. उप जिलाधिकारी बेतालघाट

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

R.F.O. NTL

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR

DISTRICT NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule ibes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 006 was held under the chairmanship of Mr Deepak Rawat I.A.S district collector,. ainital on dated ..20:.11:.14 at time .11:.30AM.at Nainital in which application claiming ghts in **Kotabag** Tehsil area measuring **5.445** hect for the construction of **Mangoli hamari Thapla Jalalgaon to Dechauri** in District **Nainital** under state sector forest nd under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the b division level committee of **Kotabag** Tehsil sub division were discussed to consider e same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims ere found to have been made & hence District level committee recommend the above se for diversion of land for the said purpose.

ace;....Nainital

ated....20:.11:.14

District Collector-cum-Chairman

District Level Committe

Nainital

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल.

प्रारूप - 30.2

परियोजना का नाम– मंगोली-रयमारी-थापला-जलालगांव देचौरी मोटर मार्ग निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति...नैनीताल...

उपखण्ड ...नैनीताल...परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मंगोली-रयमारी-थापला-जलालगांव-देचौरी मो... ...(4.320...है0 आरक्षित वन भूमि.........है0 सिविल एवं सोयम वनभूमि, वन पंचायत भूमि 1.125 है0 अर्थात कुल 5.445 है0 वन भूमि) का ...लो0 नि0 वि0... प्रयोक्त एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति(तहसील...नैनीताल...) की दिनांक 18/11/14...को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री...आशीष चौहान...उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री...आशीष चौहान...उपजिलाधिकारी...नैनीताल...अध्यक्ष
2. श्री...यू सी तिवारी...उप प्रभागीय वनाधिकारी...नैनीताल...सदस्य
3. श्री...[illegible]...सहायक समाज कल्याण अधिकारी...नैनीताल...सदस्य/सचिव
4. श्री...हेमा देवी...बी.डी.सी क्षेत्र...जलाल गांव...सदस्य हेमा देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत...मंगोली-रयमारी-थापला-जलालगांव देचौरी मोटर मार्ग हेतु 5.445 है0 वन भूमि...प्रयोक्ता एजेंसी लो0 नि0 वि0 नैनीताल प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वनभूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण के उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत...मंगोली-रयमारी-थापला जलालगांव-देचौरी मोटर मार्ग

कमशः 2पर

रियोजना के निर्माण हेतु 5.145 हे0 वनभूमि ....प्रयोक्ता एजेंसी
जनहित में सक्षम प्राधिकरी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति
क्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील–
जनपद– नैनीताल

लिपि– जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील–
जनपद– नैनीताल।

प्रपत्र–23

जना का नाम–

प्रारूप - 30·3

परियोजना का नाम :– मंगोली - खमारी - थापला - जलालगांव - डेचौरी मोटर (iv) मार्ग का नवनिर्माण,

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – जलाल गांव

तहसील नैनीताल, जिला नैनीताल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत मंगोली खमारी थापला जलालगांव डेचौरी मोटर मार्ग के निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (4.320 हे0 आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि ...... हे0, वन पंचायत भूमि 1.125 हे0) अर्थात कुल 5.445 हे0 वन भूमि का .... लोक निर्माण विभाग ......विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जलालगाँव द्वारा दिनांक 19-10-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागमत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जलालगाँव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 5.445 हे0 प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/– (ज्योति पाण्डेय)
सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम प० जलालगाँव
विकास खण्ड भीमताल (नैनीताल)

ह0/–
ग्राम प्रधान

[Stamp: ग्राम प्रधान, ग्राम सभा जलालगाँव, ब्लाक भीमताल (नैनीताल)]

नोट – यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो अनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के द्वारा पारित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

(गणेश सिंह महरा)
सदस्य जिला पंचायत
ज्योलीकोट (नैनीताल)

प्रारूप - 30.4

दिनांक 19-10-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
[illegible] सिंह बिष्ट	नरेन्द्र सिंह
पदम सिंह बिष्ट	पदम सिंह
[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible]
[illegible] सिंह बिष्ट	मैनासिंह
नन्दन सिंह बिष्ट	नन्दन सिंह
[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible] सिंह
[illegible] सिंह बिष्ट	नन्दन सिंह
[illegible] सिंह बिष्ट	जगतसिंह
प्रकाश सिंह बिष्ट	प्रकाश सिंह
[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible]
[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible]
[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible] सिंह
[illegible] सिंह बिष्ट	पूरन सिंह
[illegible] सिंह बिष्ट	भुवनेशसिंह
[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible]
[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible]
[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible]
[illegible] सिंह	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible] Singh	[illegible]
[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible]
[illegible] Singh	[illegible]
[illegible] सिंह बिष्ट	लालसिंह
[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible] सिंह
[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible] सिंह
[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible]
[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible] सिंह
[illegible] सिंह बिष्ट	[illegible]

[illegible] सिंह

Om Singh

(गणेश सिंह महरा)
सदस्य जिला पंचायत
ज्योलीकोट (नैनीताल)

प्रपत्र–23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

Cost Benefit Ratio Chart

Name of Project – Construction of Motor Road from Mangoli Khamari Thapla [illegible] to Dechori .

Block :- Kotabagh **District :-Nainital**

S.No.	Particulars	Amount (Lac Rs.)	Remark
1	**Total cost (Investment incurred)**		
(A)	Construction Cost of Project		Rs 24500000.00
(B)	N.P.V. Amount to be deposited @ 9.20 Lac/Hectare	Rs. 3065535.00	
(D)	Substitute/Alternation Planlation Cost to be Deposited :-	700000.00	
	Total	**3765535.00**	**24500000.00**
2	**Benefits:-** **Benefits from (Taking Age of Road As 50 Years)**		
(A)	Economic Benefits- Taking Market Development	Rs.500.00	
(B)	Direct Employment of Labours-	Rs. 50.00	
(C)	Employment Generation Due to other activities	Rs. 70.00	
Note:	Therefore construction is Economically Viable and socially bencficial.		

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो०नि०वि०
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०

(32)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Nainital

No--- **Dated-----**

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली–खमारी –थापला–जलालगॉव से देचोरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **5.445** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **P.D.P.W.D Nainital for Construction of Mangoli Khamari Thapla Jalalgaon Dechauri Motor Road** for **Road Work** (purpose for diversion of forest land) in **Nainital** district falls within jurisdiction of **Jalalgaon** village (s) in **Nainital** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **5.445** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **Nainital** villages(s) is enclosed as annexure….. to annexure……

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

...above. ...अधिकारी

...

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

D.F.O. Nainital